पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2017 ई0 (भाद्रपद 25, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–37

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	781–788	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	445–459	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	129	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

25 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1128/VII–2/02(04)–एम0एस0एम0ई0/2017–औद्योगिक निवेश में वृद्धि करने एवं व्यापार में सुगमता लाये जाने हेतु भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा वर्ष 2015 में व्यापार सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की सुगमता (Ease of doing business) के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर भी सभी अनापत्ति निर्गत करने हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012" के अधीन "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली, 2015" द्वारा Single window system की प्रक्रिया स्थापित की गई। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के स्थापित प्राविधानों के अन्तर्गत निवेशक को उसके आवेदन करने के 15 दिन की अवधि के भीतर सिद्धान्ततः सहमति प्रदान करना अथवा अस्वीकृति का कारण बताया जाना अनिवार्य है।

2. Single window system की प्रक्रिया स्थापित होने के लगभग 01 वर्ष की अवधि में अभ्यासिक रूप से (In Practice) देखा गया है कि राजस्व विभाग के स्तर से जनपद एवं प्रदेश स्तर पर भूमि की क्रयानुमति के प्रस्तावों पर Empowered Committees के In Principle अनुमोदन के बाद भी, निवेशकों को भूमि क्रय की अनुमति notified समय–सीमा में प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के लिये स्थापित प्रक्रियाओं का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है तथा निवेशक हतोत्साहित हो रहे हैं, जबकि इस संबंध में उपरोक्त वर्णित अधिनियम, 2012 की धारा 9 एवं 23 में निम्नानुसार सुस्पष्ट प्राविधान है:–

डीम्ड स्वीकृतिः

9. *प्रत्येक विभाग या प्राधिकारी, किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारित समय–सीमा के भीतर स्वीकृतियाँ जारी करेगा। जिन मामलों में आवेदक निर्धारित अर्हता, शर्त इत्यादि पूर्ण करते हैं और यदि संबंधित विभाग या प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञाएँ/स्वीकृतियाँ जारी किये जाने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुज्ञापन जारी होना समझे जायेंगे।*

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होनाः

23. *इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य उत्तराखण्ड विधि या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोधी प्रभाव रखेंगे।*

3. इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं धारा 23 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में किसी औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति/स्वीकृति/अनुमति दिये जाने के संबंध में एम्पावर्ड कमेटी के निर्देश तथा उपरोक्त वर्णित नियमावली द्वारा अनापत्ति दिये जाने हेतु निर्धारित की गयी समय–सीमा, उक्त अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव के कारण उत्तराखण्ड की समस्त विधियों/नीतियों/आदेशों एवं विभागों व प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगी।

4. अतःप्रकरण की व्यापकता एवं गम्भीरता के दृष्टिगत लागू व्यवस्थाओं का और अधिक प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राजस्व विभाग द्वारा भूमि की क्रयानुमति हेतु एक चेक–लिस्ट बनायी जायेगी, जिसे single window portal पर आवेदन के साथ ही निवेशक को दिया जायेगा।

(2) राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित समय पर चेक–लिस्ट के आधार पर प्राप्त अभिलेखों पर विचार करते हुए, अपना मंतव्य एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा 5(1)(9) के अधीन निवेश संबंधित समस्त Clearance के अधिकार राज्य एवं जिला स्तर पर गठित Empowered Committee को प्राप्त है, जिसमें भूमि क्रयानुमति भी सम्मिलित है। अतः Empowered Committees के In Principle अनुमोदन के 15 दिन के भीतर राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में क्रयानुमति का आदेश अनिवार्य रूप से जारी किया जायेगा। इस हेतु 10 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों में भूमि क्रय की अनुमति का अन्तिम आदेश जारी करने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारी को ही प्रतिनिधानित कर दिया जाये।

(4) उपरोक्त अनापत्ति निर्धारित अवधि में निर्गत करने हेतु राजस्व विभाग अपनी नीतियों/विधियों में यथा–आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करेंगे।

(5) उक्त व्यवस्था केवल "उद्योग" की परिभाषा में आने वाले सभी प्रस्तावों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाले निवेशकों को दी जाने वाली भूमि की क्रयानुमति तक ही सीमित होगी।

(6) उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

5. कृपया उपरोक्त कार्य–योजना के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–4

अधिसूचना

23 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 867/XXVIII–4–2017–66/2010–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में डेंगू एवं मलेरिया होने की आशंका है;

और, राज्य सरकार यह समझती है कि इस सम्बन्ध में प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं और डेंगू नियंत्रण व रोकथाम तथा मलेरिया उन्मूलन के दृष्टिगत प्रत्येक रोगी की समय पर सूचना पंजीकृत करना अति आवश्यक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, महामारी अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1897) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित विनियम बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू) विनियम, 2017

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू) विनियम, 2017" है।

2. इन विनियमों में, जब तक कि किसी अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो–

(एक) "महामारी (Epidemic Disease)" का अर्थ, किसी समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों के मध्य संचारी रोगों (यथा–मलेरिया व डेंगू) का कम समय में तीव्रता से फैलाव होने से है;

(दो) "निष्क्रिय निगरानी केन्द्र (Passive Surveillance Center)" का अर्थ, ऐसे केन्द्र से है, जिसको सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा उनको, प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, निष्क्रिय निगरानी केन्द्र घोषित किया गया हो, जहाँ बुखार से ग्रसित रोगी उपचार हेतु पहुँचता हो;

(तीन) "निरीक्षण अधिकारी (Inspecting Officer)" का अर्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अथवा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(चार) "चिकित्सकीय अभ्यासकर्ता (Medical Practitioner)" का अर्थ, ऐसे एलोपैथिक चिकित्सक से है, जो एम0बी0बी0एस0 या उसके समकक्ष अर्हता रखने के साथ–साथ उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में भी पंजीकृत हो;

(पाँच) "त्वरित निदान परीक्षण (Rapid Diagnostic Test-RDT)" का अर्थ, मलेरिया एवं डेंगू की त्वरित नैदानिक परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि से है;

(छः) "आर्टिमिसिनिन संयोजन उपचार (Artemisinin Combination Therapy-ACT)" का अर्थ, मलेरिया प्लाजमोडियम फैल्सिपेरम से ग्रसित रोगी के उपचार हेतु प्रदान की जाने वाली दवा से है;

(सात) "एलाईजा (Enzyme Linked Immunosorbent Assay-ELISA)" तकनीक का अर्थ, डेंगू रोग की पुष्टि हेतु प्रयुक्त होने वाली जाँच की तकनीक से है;

(आठ) "सेन्टीनल निगरानी अस्पताल (Sentinel Surveillance Hospital-SSH)" का अर्थ, भारत सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे चिकित्सालय से है, जहाँ पर डेंगू रोग की जाँच एवं पुष्टि एलाईजा तकनीक द्वारा की जाती हो;

(नौ) "डेंगू रोगी (Dengue Case)"–

(क) सम्भावित डेंगू रोगी (**Probable Dengue Case**)–ऐसा रोगी, जिसमें दो से सात दिन की अवधि के तीव्र ज्वर के साथ निम्न लक्षणों में से दो या दो से अधिक लक्षण हो:–

सिर दर्द, आँख के पीछे दर्द होना (Retro-Orbital Pain), माँस पेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द (Joints Pain), शरीर पर लाल चकत्ते, शरीर के मुँह, नाक आदि भागों से रक्त स्राव का होना या गैर एलाईजा आधारित एन एस–1 एण्टीजन (Nonstructural Protein I-NSI)/आई जी एम (Immunoglobulins-IgM) रेपिड डाग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा डेंगू रोग का निदान होना।

(ख) पुष्टिकृत डेंगू रोगी (**Confirmed Dengue Case**)–एलाईजा तकनीक द्वारा पुष्टिकृत डेंगू रोगी;

(दस) "राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme-NVBDCP)" का अर्थ, भारत सरकार द्वारा वैक्टरजनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम से है।

3. निरीक्षण अधिकारी, जो कि अपरिहार्य कारणों से अपने समस्त या कोई एक कार्य के निष्पादन में व्यस्त है, लिखित रूप में आदेश कर किसी अधिकारी को, जो कि अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला वैक्टरजनित रोग अधिकारी के स्तर का हो, इस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी, जहाँ तक इस प्रकार के कार्यों का सम्बन्ध है, इन विनियमों के अन्तर्गत एक निरीक्षण अधिकारी माना जायेगा।

4. बुखार रोग निगरानी (Fever Surveillance), उपचार, लार्वारोधी उपाय, कीटनाशक का छिड़काव या फॉगिंग के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारी किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है। वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों को भी अपने साथ ऐसे किसी परिसर में प्रवेश के लिए अधिकृत कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है।

5. निरीक्षण अधिकारी सन्देह के आधार पर किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जिससे यह पता चल सके कि वह व्यक्ति मलेरिया या डेंगू से पीड़ित है या पीड़ित हो सकता है तथा उस व्यक्ति को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

6. इस प्रकार के निरीक्षण या परीक्षण या अन्य के परिणाम में, निरीक्षण अधिकारी को किसी कारण विश्वास या सन्देह है कि वह व्यक्ति मलेरिया या डेंगू से संक्रमित है, या हो सकता है, तो निरीक्षण अधिकारी ऐसे व्यक्ति की जाँच के लिए रक्तपट्टिका बनाने/रक्त का नमूना देने तथा आमूल उपचार लेने, जो निरीक्षण अधिकारी उचित समझता हो, के लिए निर्देशित कर सकता है। संदिग्ध व्यक्ति के अवयस्क होने की अवस्था में इस प्रकार का आदेश अवयस्क के संरक्षक या अवयस्क के परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को दिया जायेगा।

7. निरीक्षण अधिकारी किसी भी परिसर में कीटनाशक के छिड़काव या घरेलू जल संग्रहण में उपयुक्त लार्वानाशक (Larvicide) उपचार के लिए आदेश कर सकता है।

8. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पंजीकृत चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि संक्रमण काल (अर्थात् माह जून से माह नवम्बर तक) में प्रत्येक बुखार के रोगी को संदिग्ध मलेरिया रोगी के रूप में देखें:–

(क) सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मलेरिया की जाँच हेतु रक्त नमूने से बनाई गई रक्तपट्टिका (Blood Slide) का सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से परीक्षण किया जाय।

(ख) निजी चिकित्सालयों एवं प्रयोगशालाओं में मलेरिया जाँच के लिए रक्तपट्टिका (Blood Slide) का सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से परीक्षण करना वाँछनीय होगा। ऐसे निजी चिकित्सालय एवं प्रयोगशाला, जहाँ पर मलेरिया जाँच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर मलेरिया जाँच एन्टीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा हो और साथ ही यह एन0आई0एम0आर0 नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, नई दिल्ली (NIMR) द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(ग) मलेरिया की जाँच हेतु एन्टीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करने वाले निजी चिकित्सालय एवं प्रयोगशाला, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की संवेदनशीलता एवं विशेषता के जिम्मेदार स्वयं होगें।

(घ) एन्टीबॉडी आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया की पुष्टि के लिए मान्य नहीं है।

9. मलेरिया पुष्टिकृत रोगी की सूचना जाँच के तुरन्त बाद अनिवार्यतः निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में देनी होगी। मलेरिया पुष्टिकृत रोगी की रक्तपट्टिका भी 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिला वैक्टरजनित रोग नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी।

10. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पंजीकृत चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मलेरिया जाँच के उपरान्त पुष्टिकृत रोगी का पूर्ण आमूल उपचार भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मलेरिया ड्रग पॉलिसी के अनुसार क्लोरोक्वीन/आर्टिमिसिनिन काम्बिनेशन थेरेपी एवं प्राईमाक्वीन से किया जाये।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मलेरिया के उपचार के लिए केवल आर्टिमिसिनिन का उपयोग नहीं किया जाये। फैल्सीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए आर्टिमिसिनिन का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाये।

11. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पंजीकृत चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि यदि उनके संस्थान में कोई संदिग्ध डेंगू रोगी हो तो वह उसकी जानकारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला वैक्टरजनित रोग नियंत्रण अधिकारी को अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराएँ

12. सभी संदिग्ध डेंगू रोगियों के रक्त नमूनों को एलाईजा तकनीक द्वारा जाँच हेतु सम्बन्धित जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में स्थापित सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल में भेजा जाये।

(एक) यदि बुखार की अवधि 5 दिन से कम है, तो डेंगू के संदिग्ध रोगी की जाँच NSI एन्टीजन एलाईजा तकनीक से की जाये।

(दो) यदि बुखार की अवधि 05 दिन से अधिक है, तो डेंगू के संदिग्ध रोगी की जाँच IgM Mac एन्टीबॉडी एलाईजा तकनीक से की जाये।

(तीन) भारत सरकार के राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली के पत्रांक DO 7–71/2014–15/NVBDCP/DEN/General/P–1, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि कम संवेदनशीलता तथा विशेषता (Low Senstivity and Specificity) के कारण रैपिड डॉयग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा डेंगू रोग की पुष्टि मान्य नहीं है।

(चार) किसी संदिग्ध डेंगू रोगी को एलाईजा जाँच से पुष्टि होने पर ही डेंगू पुष्टिकृत रोगी घोषित करेंगे, न कि रैपिड डॉयग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पर। डेंगू पुष्टिकृत रोगी की सूचना, पूर्ण विवरण के साथ, तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला वैक्टरजनित रोग नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(पाँच) यदि डेंगू के किसी संदिग्ध या पुष्टिकृत रोगी की सूचना, सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला वैक्टरजनित रोग नियंत्रण अधिकारी को नहीं दी जाती है तो निदानात्मक व निषेधात्मक प्रयासों में होने वाली देरी के लिए सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

13. डेंगू के संदिग्ध या पुष्टिकृत रोगी का प्रबन्धन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है, जो कि राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम विभाग (NVBDCP), भारत सरकार की वेबसाइट www.nvbdcp.gov.in पर उपलब्ध है।

14. यह विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इस विज्ञप्ति के प्रकाशन तिथि से दो वर्ष के लिए वैध होंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 867/XXVIII-4-2017-66/2010**, dated Dehradun August 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

August 23, 2017

No. 867/XXVIII-4-2017-66/2010--WHEREAS, the State Government is satisfied that the State threatened with Dengue and Malaria.

AND the State Government deemed that the ordinary provisions of the law in force are insufficient for that purposes and to prevent the outbreak of Dengue control and prevention and Malaria abolition, it is necessary to register every patient in time.

NOW, THEREFORE, the powers conferred by section 2 of Epidemic Diseases Act, 1897 (Central Act no. 03 of 1897), the Governor is pleased to make following regulations :

The Uttarakhand Epidemic Diseases (Malaria and Dengue) Regulations, 2017

1. These regulations may be called the "Uttarakhand Epidemic Diseases (Malaria and Dengue) Regulations 2017".
2. In these regulations unless the contest otherwise requires :
   (i) "Epidemic Diseases" means, rapid spread of infectious disease (e.g. Malaria and Dengue) to a large number of people in a given population within a short period of time;
   (ii) "Passive Surveillance Centre" means, any place, which may be declared by the District Magistrate concerned in exercise of the powers conferred upon him to be a Passive Surveillance Centre, where a patient reports as a case of fever;
   (iii) "Inspecting Officer" means, a person appointed by the Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand or Chief Medical Officer of concerned district to be as Inspecting Officer.
   (iv) "Medical Practitioner" means, an Allopathic Doctor, who has MBBS degree or equivalent qualification and also registered in Medical Council of Uttarakhand;
   (v) "Rapid Diagnostic Test (RDT)" means, a technique to be used for rapid diagnosis of Malaria and Dengue;

(vi) "Artemisinin Combination Therapy (ACT)" means, a medicine to be used for treatment of patient suffering from Plasmodium falciparum Malaria.

(vii) "Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)" technique means, a technique to be used for confirmed diagnosis of dengue;

(viii) Sentinel Surveillance Hospital (SSH)" means, a hospital authorized by Government of India, whereas testing and confirmation of dengue disease is done by ELISA technique;

(ix) **Dengue Case :**

(a) "Probable Dengue Case" A patient having high grade fever lasting two to seven days alongwith two or more following symptoms--Headache, Retro-Orbital Pain, Pain in Muscles, Joints Pain, Body rashes, bleeding from body parts like mouth, nose etc. or diagnosed by Non ELISA based NS1 antigen (Nonstructural Protein 1)/IgM (Immunoglobulins) Rapid diagnostic test.

(b) **Confirmed Dengue Case**--A patient confirmed dengue by ELISA technique.

(x) National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) means National programme governed by Government of India for prevention and control of vector borne diseases.

3. An Inspecting Officer, who is unavoidably prevented from discharging all or anyone of the functions, may by order in writing appoint any Officer of the level of additional Chief Medical Officer/District Vector Borne Disease to discharge such functions. Every officer/official so appointed shall so far as such functions are concerned, be deemed for the purpose of these regulations to be an Inspecting Officer.

4. An Inspecting Officer may enter any premises for the purpose of fever surveillance, treatment, anti-larval measures, spray if Insecticides or fogging. He may also authorize other persons of his team to enter such premises along with as he considers necessary.

5. An Inspecting Officer may put any question as he thinks fit in order to ascertain whether there is any reason to believe or suspect that such person is or may be suffering from Malaria or Dengue and such person shall give answer to him.

6. Whether as a result of such inspection or examination or otherwise, the Inspecting Officer considers that there is reason to believe or suspect that such person is or may be infected with Malaria or Dengue, Inspecting Officer may direct such person to give his blood slide/blood sample for examination and to take such treatment as the Inspecting Officer may deem fit. In case of the minor, such order shall be directed to the guardians or any other adult member of the family of the minor.

7. The Inspecting Officer may order any premises to be sprayed with the insecticide or domestic water collection to be treated with suitable larvicides.

8. It is mandatory to the Doctors or Government Health Institutions and registered medical private practitioners of the private hospitals/clinics to suspect each fever case as suspected malaria case during the transmission period (June to November month) :

(a) All the Government Health Institutions shall test malaria by microscopic examination of blood slide prepared from the blood sample.

(b) Private hospitals and laboratories should preferably do microscopic examination of blood slide for malaria testing. Wherever, Rapid Diagnostic Test (RDT) has to be used for malaria testing in a private hospital or laboratory it has to be Antigen based RDT and the same should be approved as per NIMR (National Institute of Malaria Research).

(c) The private hospitals and laboratories using Antigen based RDT for malaria testing shall be responsible for sensitivity and specificity if the RDT.

(d) Antibody based RDT is not recognized for malaria confirmation.

9. The information of the positive case of the malaria has to be sent to the nearest government health institution immediately after the diagnosis. The blood slide of the positive case should also be submitted to the District Vector Borne Disease Officer of the concerned district within seven (7) days.

10. The Doctors in government health institutions and the registered medical private practitioners of the private hospitals/clinics should ensure the complete radical treatment of the malaria positive case with Chloroquine/Artemisinin combination therapy (ACT) alongwith Primaquine as per the drug policy of malaria issued by Government of India from time to time.

As per Government of India guidelines, single dose artemisinin should not be used for treatment of malaria. Artemisinin has to be used in combination for treatment of falciparum malaria.

11. It is mandatory to the Doctors in Government Health Institutions and the registered medical private practitioners of the private hospitals/clinics to immediately inform the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer of the concerned district, if a suspected case of dengue is reported at their health institution.

12. The blood samples of all dengue suspected cases have to be sent at the sentinel surveillance hospital (SSH), established in the Government Health Institution of the concerned district, to be tested by ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) technique.

(i) A suspected case of dengue has to be tested with NS1 Antigen ELISA technique, if the fever is of less than 5 days duration.

(ii) A suspected case of dengue has to be tested with IgM Mac Antibody ELISA technique, if the fever is of more than 5 days duration.

(iii) That the Government of India, National Vector Borne Disease Control Programme, Ministry of Health and family welfare, Delhi has intimated vide D.O.No. 7-71/2014-15./NVBDCP/DEN/General/P-1, dated 23rd September, 2015 that the use of Rapid Diagnostic test kits for confirmation of Dengue is not recommended due to its low sensitivity and specificity.

(iv) Any suspected case of dengue should be declared dengue positive only after ELISA testing, not on the basis of Rapid Diagnostic test. The information of the positive case of the dengue with complete details should be sent immediately to the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer.

(v) The in-charge of the concerned hospital shall be responsible, if the information of a suspected or confirmed case of dengue is not sent to the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer of the concerned district thus delaying the remedial preventive measures.

13. The management of the dengue suspected or confirmed cases need to be done as per the guidelines issued by the Government of the India from time to time and available on the website of the department of National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), Government of India (www.nvbdcp.gov.in).

14. These regulations shall come into force at once and shall remain valid for two years from the date of publication of this notification.

By Order,

OM PRAKASH,

Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/486–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2017 ई0 (भाद्रपद 25, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 18, 2017

No. 198/UHC/XIV-a/48/Admin.A/2015--Ms. Sahista Bano, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 01.08.2017 to 10.08.2017.

NOTIFICATION

August 18, 2017

No. 199/UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District Judge, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 24.07.2017 to 30.07.2017.

NOTIFICATION

August 18, 2017

No. 200/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008--Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 33 days w.e.f. 03.07.2017 to 04.08.2017, in terms of Office memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

30 अगस्त, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2667/रा0कर आयु0 उत्तरा0/मुख्यालय/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं 692/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, समदिनांकित 18 अगस्त, 2017 एवं अधिसूचना संख्या 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं 532/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, समदिनांकित 29 जून, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" तथा "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण के गठन" किये जाने तथा "सेवा के विभिन्न प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रचालक (Electronic Commerce Operator) द्वारा संदत्त किये जाने" एवं "कटौतीकर्त्ता को पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति प्राप्त करता है, अधिनियम की धारा 9(4) के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान" किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाएँ इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8
अधिसूचना

28 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 96 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण", के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका कार्यालय देहरादून में होगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **no. 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated August 28, 2017 for general information.

NOTIFICATION

August 28, 2017

No. 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 96 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor, is pleased to allow to constitute the "Uttarakhand Authority for Advance Ruling", with its office at Dehradun.

2. It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017.

अधिसूचना

28 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 692/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 99 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण", के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका कार्यालय देहरादून में होगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **no. 692/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated August 28, 2017 for general information.

NOTIFICATION

August 28, 2017

No. 692/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 99 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to constitute the "Uttarakhand Appellate Authority for Advance Ruling", with its office at Dehradun.

2. It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

अधिसूचना

29 जून, 2017 ई0

संख्या 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश के क्रम में, यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति–पर कर, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा :–

(i) शीर्ष 9964 या 9973 के अधीन आने वाले रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएँ;

(ii) शीर्ष 9963 के अधीन आने वाले होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा, सिवाय वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "शीर्ष" जहाँ कहीं वह आता है, के प्रति निर्देश से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में "शीर्ष" अभिप्रेत होगा ;

(ख) "रेडियो टैक्सी" से टैक्सी अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत रेडियो कैब है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू–वे रेडियो सम्पर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है;

(ग) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब", और "मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (22), खण्ड (25) और खण्ड (26) में है।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **no.531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated June 29, 2017 for general information.

NOTIFICATION

June 29, 2017

No. 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council, pleased to allow to notify that in case of the following categories of services, the tax on intra-State supplies shall be paid by the Electronic Commerce Operator--

(i) services by way of transportation of passengers by a Radio-Taxi, Motor Cab, Maxi Cab and Motorcycle falling under heading 9964 or 9973;

(ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns,guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes falling under heading 9963,except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Uttarakhand Goods and Services Tax Act.

Explanation : For the purposes of this notification:--

(a) Reference to "Heading", wherever it occurs, unless the context otherwise requires, shall mean "Heading" in the scheme of classification of services;

(b) "Radio Taxi" means a taxi including a Radio Cab by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);

(c) "Maxi Cab", "Motor Cab" and "Motor Cycle" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

अधिसूचना

29 जून, 2017 ई0

संख्या 532/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में, किसी कटौतीकर्ता को, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति प्राप्त करता है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट प्रदत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखण्ड (VI) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **no. 532/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated June 29, 2017 for general information.

NOTIFICATION

June 29, 2017

No. 532/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council, is pleased to allow to exempt intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

(विधि–अनुभाग)

04 सितम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2728/रा0कर आयु0 उत्तरा0/मुख्यालय/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 701/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017" अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना/संशोधन

31 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 701/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 24 का संशोधन :

दिनाँक 22 जून, 2017 से, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 24 के वर्तमान उपनियम (4) में शब्द "नियत तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "दिनाँक 30 सितम्बर, 2017 को अथवा इससे पूर्व" रख दिया जायेगा।

3. नियम 34 का संशोधन :

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 34 में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपये से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर : कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबन्धनानुसार ऐसी पूर्ति की बाबत पूर्ति के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।	34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपये से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर : (1) कराधेय माल के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबन्धनानुसार ऐसे माल की पूर्ति के बाबत पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित लागू विनिमय की दर होगी। (2) कराधेय सेवाओं के मूल्य के अवधारण के लिये विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबन्धनानुसार ऐसी सेवाओं की पूर्ति के बाबत पूर्ति के समय की तारीख के लिए सामान्य स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्त के अनुसार लागू विनिमय की दर होगी

4. नियम 46 का संशोधन :

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 46 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान तीसरे परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान परन्तुक*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक*
46. कर बीजक : परन्तु, यह कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में, बीजक में "एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए पूर्ति" या "एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए पूर्ति", जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकित होगा और खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, अर्थात्:– (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता; (ii) परिदान का पता; और (iii) गंतव्य देश का नाम	46. कर बीजक : परन्तु, यह और कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में, बीजक में "निर्यात के लिए पूर्ति/विशेष आर्थिक जोन इकाई को पूर्ति या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालकों के लिए पूर्ति" या "निर्यात के लिए पूर्ति/विशेष आर्थिक जोन इकाई को पूर्ति या एकीकृत कर के संदाय के बिना बंध–पत्र या परिवचन–पत्र के अधीन विशेष आर्थिक जो न विकासकर्ता को प्राधिकृत प्रचालकों के लिए पूर्ति", जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित होगा और खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, अर्थात्:– (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता; (ii) परिदान का पता; और (iii) गंतव्य देश का नाम

5. नियम 61 का संशोधन :

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 61 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान उपनियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम*
61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति : (5) जहाँ धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–2 में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियाँ ऐसा चाहती हैं कि प्ररूप जीएसटीआर–3 के स्थान पर प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी को ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए।	61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति : (5) जहाँ धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–2 में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियाँ ऐसा चाहती हैं कि आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह विहित कर सकता है कि विवरणी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में इलेक्ट्रॉनिकली समान पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

स्तम्भ–1 *वर्तमान उपनियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम*
	(6) प्ररूप जीएसटीआर–2 में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की देय तिथि के पश्चात् जहाँ विवरणी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में दाखिल की गयी है:– (क) प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी का भाग क, प्ररूप जीएसटीआर–1 प्ररूप जीएसटीआर–2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिकली सृजित होगा और उक्त विवरणी का भाग ख कर अवधि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकली जनित होगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी और प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी के मध्य विसंगति के आधार पर, यदि कोई है, प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी का भाग ख उपांतरित करेगा और अपने कर और अन्य दायित्वों, यदि कोई है, का उन्मोचन करेगा; (ग) जहाँ प्ररूप जीएसटीआर–3 में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्ररूप जीएसटीआर–3ख के निबन्धनानुसार इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि से अधिक है, अतिरिक्त रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में जमा हो जायेगी।

6. नियम 83 का संशोधन :

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परन्तुक मे शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "उपनियम" रख दिया जायेगा।

7. नियम 89 का संशोधन :

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (4) के खण्ड (उ) में शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "खण्ड" रख दिया जायेगा।

8. प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 :

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 में क्रम संख्या 7 में तालिका (क) में स्तम्भ–2 के शीर्षक के स्थान पर शीर्षक "एचएसएन जैसा लागू है" प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

9. प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–2 :

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–2 में क्रम संख्या 4 और 5 में तालिका में स्तम्भ–1 के शीर्षक के स्थान पर शीर्षक "एचएसएन जैसा लागू है" प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification **no.701/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated August 31, 2017 for general information.

NOTIFICATION / AMENDMENT

August 31, 2017

No. 701/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient to do so in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is please to allow to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017

1. Short title and commencement :

(1) These Rule may be called The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment), Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Rule 24 :

In Rule 24 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017 with effect from 22nd June, 2017, in sub-rule (4) for the words "within a period of thirty days from the appointed day", the words and figures "on or before 30th September, 2017" shall be substituted.

3. Amendment in Rule 34 :

In Rule 34 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 for the existing rule given in column-1, the following rule given in column-2 shall be substituted; namely :--

Column-1 *Existing Rule*	**Column-2** *Hereby Substituted Rule*
34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value : The rate of exchange for the determination of the value of taxable goods or services or both shall be the applicable reference rate for that currency as determined by the Reserve Bank of India on the date of time of supply in respect of such supply in terms of section 12 or, as the case may be, section 13 of the Act.	**34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value :** (1) The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be the applicable rate of exchange as notified by the Board under section 14 of the customs Act, 1962 for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act. (2) The rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13 of the Act.

4. Amendment in Rule 46 :

In Rule 46 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 for the existing third proviso given in column-1, the following proviso given in column-2 shall be substituted; namely :--

Column-1 *Existing Proviso*	Column-2 *Hereby Substituted Proviso*
46. Tax invoice : Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT, FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT, FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely :-- (i) name and address of the recipient; (ii) address of delivery; and (iii) name of the country of destination.	**46. Tax invoice :** Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT, FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT, FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely : -- (i) name and address of the recipient; (ii) address of delivery; and (iii) name of the country of destination.

5. Amendment in Rule 61 :

In Rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 with effect from 1st July, 2017, for the existing sub-rule (5) given in Column-1, the following sub-rule given in column-2 shall be substituted; namely :--

Column-1 *Existing sub-rule*	Column-2 *Hereby Substituted sub-rule*
61. Form and manner of submission of monthly return : (5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 and in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, return in FORM GSTR-3B, in lieu of FORM GSTR-3, may be furnished in such manner and subject to such conditions as may be notified by the Commissioner.	**61. Form and manner of submission of monthly return :** (5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, specify that return shall be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

Column-1 *Existing sub-rule*	Column-2 *Hereby Substituted sub-rule*
All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf.	(6) Where a return in **FORM GSTR-3B** has been furnished, after the due date for furnishing of details in **FORM GSTR-2** : (a) **Part A** of the return in **FORM GSTR-3** shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1, FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax periods and **PART B** of the said return shall be electronically generated on the basis of the return in **FORM GSTR-3B** furnished in respect of the tax period; (b) the registered person shall modify **Part B** of the return in **FORM GSTR-3** based on the discrepancies, if any, between the return in **FORM GSTR-3B** and the return in **FORM GSTR-3** and discharge his tax and other liabilities, if any (c) where the amount of input tax credit in **FORM GSTR-3** exceeds the amount of input tax credit in terms of **FORM GSTR-3B**, the additional amount shall be credited to the electronic credit ledger of the registered person.

6. Amendment in Rule 83 :

In Rule 83 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 with effect from 1st July, 2017, in second proviso of sub-rule (3), for the word "sub-section", the word "sub-rule" shall be substituted.

7. Amendment in Rule 89 :

In Rule 89 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 with effect from 1st July, 2017, in clause (E) of sub-rule (4), for the word "sub-section", the word "clause" shall be substituted.

8. Amendment in FORM GST TRAN-1 :

In FORM GST TRAN-1 with effect from 1st July, 2017, in Sl. No. 7, in Table (a), for the heading of column 2, the heading "HSN as applicable" shall be substituted.

9. Amendment in FORM GST TRAN-2 :

In FORM GST TRAN-2 with effect from 1st July, 2017, in Sl. No. 4 and 5, in the Table for the heading of column 1, the heading "HSN as applicable" shall be substituted.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

30 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 2676/आयुक्त राज्य कर/उत्तरा0/फार्म–अनु0/2017–18/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई है, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री रजतदीप ओवरसीज प्रा0लि0, प्लॉट नम्बर–16, सेक्टर–3, सिडकुल, हरिद्वार, टिन–05006370015	प्रारुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 7544909	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर
कार्यालय आदेश

05 अगस्त, 2017
———— ई0
17 अगस्त, 2017

पत्रांक 5043/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06G-680/2017–वाहन संख्या UA06G-0680 (MARUTI OMNI), मॉडल 2006, चेसिस संख्या MA3EVB11S00782948 तथा इंजन नं0 F8BIN3645974, कार्यालय में मैसर्स खण्डेलवाल लेबोट्री प्रा0लि0, सेक्टर 6, प्लॉट नं0 20, आई0आई0ई0, सिडकुल, पंतनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 15.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06G-0680 (MARUTI OMNI) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3EVB11S00782948 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

23 अगस्त, 2017

पत्रांक 5089/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38C-0962/2017–वाहन संख्या HR38C-0962 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373011DRQ201261 तथा इंजन नं0 697D22DRQ109939, कार्यालय में श्री नरेश बब्बर पुत्र श्री वेद प्रकाश बब्बर, निवासी आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 16.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38C-0962 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011DRQ201261 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6000/टी0आर0/पंजी0नि0/UP25T-6501/2017–वाहन संख्या UP25T-6501 (TRUCK), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 373011GQQ713143 तथा इंजन नं0 697D22GQQ752268, कार्यालय में श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश, निवासी नई सुनहरी, वार्ड नं0 5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 22.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP25T-6501 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011GQQ713143 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

30 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6003/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06V-6374/2017–वाहन संख्या UK06V-6374 (MOTOR CAR), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MALA351ACM056668B तथा इंजन नं0 G3HABM27441, कार्यालय में श्री रेबाधर पाण्डे पुत्र श्री पी0डी0 पाण्डे, निवासी 1660, ... कॉलोनी, पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 30.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06V-6374 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALA351ACM056668B तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6018/टी0आर0/पंजी0नि0/UA05-3034/2017–वाहन संख्या UA05-3034 (TRUCK), मॉडल 2004, चेसिस संख्या MIZGL4GM0075076 तथा इंजन नं0 SL6IM67580, कार्यालय में श्री रामपाल रस्तोगी पुत्र श्री राम भरोसे लाल, निवासी म0 नं0 1928, ट्रांजिट कैम्प, वार्ड नं0 2, शिवनगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA05-3034 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MIZGL4GM0075076 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6034/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38F-8065/2017–वाहन संख्या HR38F-8065 (TRUCK), मॉडल 2001, चेसिस संख्या 373141DYZ709819 तथा इंजन नं0 697T43DYZ869222, कार्यालय में श्री आशीश बांगा पुत्र श्री ओम प्रकाश बांगा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गली नं0 1, अपोजिट पीएसी गेट, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38F-8065 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373141DYZ709819 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6035/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02A-8203/2017–वाहन संख्या UP02A-8203 (TRUCK), मॉडल 1993, चेसिस संख्या 344352432057 तथा इंजन नं0 692D22440360, कार्यालय में श्री आशीश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP02A-8203 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344352432057 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6036/टी0आर0/पंजी0नि0/UP21D-9857/2017–वाहन संख्या UP21D-9857 (TANKER), मॉडल 1991, चेसिस संख्या 364052542768 तथा इंजन नं0 692D02522412, कार्यालय में श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी मलसा गिरधरपुर, लालपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP21D-9857 (TANKER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052542768 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 6037/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02C-1528/2017–वाहन संख्या UP02C-1528 (TRUCK), मॉडल 1996, चेसिस संख्या 14EC60238116 तथा इंजन नं0 4D3A60230694, कार्यालय में श्री दया शंकर पुत्र श्री नैनी राम, निवासी म0 नं0 617, रामपुरा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 21.08.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP02C-1528 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14EC60238116 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/486–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2017 ई0 (भाद्रपद 25, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम श्यामू मिस्त्री से बदलकर श्याम लाल कहेड़ा कर लिया है। भविष्य में मुझे श्याम लाल कहेड़ा पुत्र श्री बुद्धि मिस्त्री के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्याम लाल कहेड़ा पुत्र श्री बुद्धि मिस्त्री
निवासी ग्राम जाबर पो0ओ0 मल्ले
गांव (बगवान), तहसील देवप्रयाग,
जिला टिहरी गढ़वाल।

सूचना

मेरे पति स्व0 श्री शंकर दत्त गुरुरानी के सैन्य अभिलेखों में मेरा नाम भूलवश लीलावती दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम लीला गुरुरानी (Leela Gururani) है। भविष्य में मुझे लीला गुरुरानी (Leela Gururani) के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

लीला गुरुरानी पत्नी स्व0 श्री शंकर
दत्त गुरुरानी निवासी आदर्श नगर
सुनार गली तल्ली बमोरी हल्द्वानी
नैनीताल

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट / 486–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।